भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3894
(21 दिसंबर, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए)

बिहार में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा) योजना और निर्माण कार्य के लिए निधि

3894. श्री महाबली सिंह:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में वर्तमान वर्ष के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा) योजना के लिए संस्वीकृत की गई निधि जारी कर दी गई है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या बिहार में विशेषरूप से काराकाट संसदीय क्षेत्र में मनरेगा और निर्माण कार्य के लिए संस्वीकृत की गई निधि जारी कर दी गई है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ड.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क) और (ख): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां "स्वीकृत" श्रम बजट (एलबी) और वित्तीय वर्ष के दौरान राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के कार्य निष्पादन के आधार पर जारी की जाती हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधि जारी करना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और जमीनी स्तर पर कार्य की मांग को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार निधियां उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में (16.12.2021 की स्थिति के अनुसार) महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्वीकृत/जारी की गई निधियों का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया हैं।

(ग) से (ड.) : महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत निधियां महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम और दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार जारी की जाती हैं। इस योजना के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से मजदूरी का भुगतान सीधे लाभार्थियों के खाते में किया जाता है और सामग्री घटक के लिए निधियां राज्य कोष को जारी की जाती हैं।

महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत कोई निधियां सीधे जिला/निर्वाचन क्षेत्र को जारी नहीं की जाती हैं।

लोक सभा में दिनांक 21.12.2021 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 3894 के भाग (क) से (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 (16.12.2021 की स्थिति के अनुसार) में महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्वीकृत/जारी की गई निधियों का ब्यौरा		
क्र. सं.	**राज्य/सं.रा.क्षेत्र**	**जारी की गई निधियां (रु. करोड़ में)**
1	आंध्र प्रदेश	6625.20
2	अरुणाचल प्रदेश	262.82
3	असम	1482.46
4	बिहार	4296.26
5	छत्तीसगढ़	2276.65
6	गोवा	0.00
7	गुजरात	1296.88
8	हरियाणा	523.36
9	हिमाचल प्रदेश	657.30
10	जम्मू और कश्मीर	372.10
11	झारखंड	2095.47
12	कर्नाटक	4264.18
13	केरल	2327.53
14	मध्य प्रदेश	6217.69
15	महाराष्ट्र	1275.29
16	मणिपुर	333.09
17	मेघालय	687.81
18	मिजोरम	358.96
19	नागालैंड	338.75
20	ओडिशा	4411.01

21	पंजाब	973.43
22	राजस्थान	7177.35
23	सिक्किम	61.12
24	तमिलनाडु	6924.27
25	तेलंगाना	3800.64
26	त्रिपुरा	742.51
27	उत्तर प्रदेश	6413.91
28	उत्तराखंड	434.49
29	पश्चिम बंगाल	7472.42
30	अंडमान और निकोबार	7.63
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0.00
32	लक्षद्वीप	0.00
33	पुदुचेरी	10.65
34	लद्दाख	36.42
कुल		74,157.63